सम्पत्ति और डाइन एक सिक्के के दो पहलू

वासवी किड़ो

सत्ता और सम्पत्ति के बिना स्त्री ताकतवर नहीं हो सकती है। सिमोन द बूवा के इस कथन को डाइन समस्या के संदर्भ में देखना आवश्यक है। परिवार सत्ता हो या राज सत्ता हर कहीं पुरुषों के बोलबाला ने सभी समाजों में औरतों को कमतर बनाया है।

झाड़खंड राज्य में डाइन समस्या अब भी विकराल रूप में है। जेंडर असमानता का यह वीभत्स रूप है। औरतों को डाइन बताकर प्रताड़ना और उनकी हत्या अब भी बदस्तूर जारी है। आम तौर पर माना जाता है कि आदिवासी समाज में ही औरतों को डाइन जैसे लांछन और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर उनका जीना दुश्वार किया जाता है। लेकिन जन सुनवाई में आए मामलों ने साबित किया है झाड़खंड में आदिवासी और दलित महिलाएं डाइन बताकर प्रताड़ना की शिकार हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी इसकी चपेट में हैं। डाइन की अवधारणा आदिवासी समाज में रही है और इसके पीछे की मान्यता स्त्री शक्ति के रूप में है। कालान्तर में इसके अर्थ बदले और स्त्री की प्रताड़ना का यह मारक हथियार बन गया है। जो पुरुषों को सम्पत्ति पर एकाधिकार बनाए रखने की चाहत से पैदा हुआ है।

डाइन समस्या पर दुमका में फरवरी 08 में जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। अनेक महिलाओं ने जनसुनवाई के इस कार्यक्रम में अपनी आपबीती सुनाई। रूह कंपा देने वाली मानवता को शर्मसार करने वाली कई दर्दनाक हादसों का बयान दलित, आदिवासी और मुस्लिम महिलाओं ने किया।

डी.एस.पी. चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि डाइन के केस थाना में दर्ज किए जाते हैं। बमुश्किल 10 प्रतिशत केस ही चल पाता है। राज्य बनने के बाद अब तक डाइन संबंधी 98 मामले दुमका जिला के विभिन्न थाना में दर्ज हैं। इनमें से दो महिलाओं की डाइन बताकर हत्या कर दी गई। पहले डाइन बताकर औरतों को मारने पीटने की घटना होती थी तो मार पीट का सेक्शन लगा दिया जाता था। डाइन प्रथा प्रतिशोध अधिनियम बनने के बाद डाइन बताकर मार पीट करने पर गैरजमानती धाराएं लगाई जाने लगी। इससे घटनाएं कम होने लगी।

डी.एस.पी. का कहना है कि अपना स्वार्थ होता है तो डाइन बोलकर प्रताड़ना किया जाता है। अनेक मामलों में जमीन हड़पने की नीयत पाई गई है। उन्होंने कहा कि डाइन की घटना होने पर थाना में सुनवाई नहीं होती है तो ऊपर के अधिकारियों के पास आवेदन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डाइन बोलना भी अपराध है। साथ ही जो व्यक्ति डाइन के रूप में किसी की पहचान करता है तो उसे भी संज्ञेय अपराध के तौर पर डाइन प्रथा प्रतिशोध अधिनियम में प्रावधान किया गया है।

फूलीन के महबूब जी ने कहा कि देवघर जिला के तीन प्रखंडों में सर्वे करने पर 39 डाइन प्रताड़ना के मामले आए हैं। सभी मामले आदिवासी और दलित समाज की महिलाओं से जुड़े हैं। गत साल कृति और जय वसुन्धरा नामक संस्थाओं ने मिलकर अध्ययन कर इन मामलों को निकाला।

कृति संस्था की मीरा सिंह का कहना है कि कुछ मामलों में हम लोगों ने समझौता करा दिया है। लेकिन अनेक मामलों में औरतों को अभी न्याय नहीं मिला है।

सामाजिक कार्यकर्त्ता और वकील सुचित्रा झा का कहना है कि 25 मामले तो अभी भी देवघर जिला अदालत में है। इन मामलों में अभी महिलाओं को न्याय मिलना बाकी है।

जन सुनवाई के दौरान जो आंकड़े सरकारी और गैर सरकारी तौर पर आए वे जाहिरा तौर पर भिन्न पाए गए। जैसा कि अन्य मामलों में होता है। उत्पीड़न और अत्याचार के सभी मामले अदालत में दर्ज नहीं हो पाते हैं। जन सुनवाई में तीन जिलों को शामिल किया गया था। इसमें दुमका, गिरिडीह और देवघर जिला था।

इन जिलों के ग्रामीण इलाकों से मामले आए। गिरिडीह से आए जागो फाउंडेशन के बैजनाथ ने पांच घटनाओं का जिक्र किया। गिरिडीह की वकील रेणु वर्मा ने तीन मामलों की जानकारी दी जो अदालत में चल रहे हैं। वकील किशोर शर्मा ने बताया कि मालती देवी का केस दर्ज नहीं है। मालती देवी ने अपनी आपबीती सुनाई। मालती देवी का मामला कहीं दर्ज नहीं हैं।

दुमका की वकील मार्था ने चार केस के बारे में बताया जो कि अदालत में विचाराधीन है।

हयूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की झाड़खंड इकाई ने अदालत में पड़े सभी मामलों में अदालत की कार्यवाही को तेज करने और महिलाओं को न्याय दिलाने का फैसला किया है। इस बाबत हयूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की एक टीम ने गिरिडीह, दुमका, देवघर का दौरा कर तमाम मामलों में औरतों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

कार्यक्रम में निर्मला पुतुल, बिटिया मुरमू, मुन्नी हांसदा, कृपामनी सुरीन, इतमानिल भौंरा, योगेंद्र प्रसाद, सामुएल मरांडी, सोलामन, अन्ना टुडू, आगनेश मुरमू, प्रदीप काले दिल्ली से प्रोफेसर कृष्णा मजूमदार, अनुभा, आंध्रप्रदेश के प्रोफेसर जयगोपाल, मेरी नीला मंराडी समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। लगभग 117 महिलाओं ने जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया।

समाज शास्त्रियों की राय है कि डाइन बताकर औरतों को प्रताड़ित करने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है तो इसके कारण स्पष्ट हैं। औरतें इस सवाल पर ज्यादा जागरूक हुई हैं। मामले थानों में दर्ज हो रहे हैं। राज्य बनने के बाद डाइन बताकर औरतों की हत्या और प्रताड़ना के आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा के मामले में संवेदनशील नहीं हुई है। राज्य सरकार ने सीडॉ को अब तक राज्य में लागू नहीं किया है। सीडॉ औरतों के प्रति हर तरह के भेदभाव और हिंसा का उन्मूलन करने के लिए अनेक प्रावधान करता है। दूसरी तरफ राज्य में डाइन प्रथा प्रतिशोध अधिनियम है। इसके प्रावधान भी कड़ाई से लागू नहीं हैं। इसके प्रावधान भी इतने कमजोर हैं कि तीन माह और छह माह की सजा के प्रावधान किसी में भय पैदा नहीं करते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि दूर दराज गांवों में अब भी स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं। अंधविश्वास के मामलों का भी समाधान किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर जनजागरूकता के कार्यक्रम अनेक स्तरों पर चलाए जाने की जरूरत है। उसके बिना औरतों को सम्मानपूर्ण जीवन की गारंटी नहीं की जा सकती हैं।

अपराध अनुसंधान के ए.डी.जी.पी, जी.एस. रथ के अनुसार राज्य बनने के बाद 219 महिलाओं की हत्या केवल डाइन के रूप में चिन्हित करके की गई है। 990 मामले डाइन प्रथा प्रतिशोध अधिनियम के दर्ज किए गए। ये सभी मामले 2001 से फरवरी 2008 तक के हैं। राज्य में महिला नीति के अभाव और सरकार द्वारा डाइन कुप्रथा के खिलाफ किसी अभियान से परहेज और महिलाओं के सवालों को एजेंडा में नहीं लाने का यह परिणाम है कि जेंडर विषमता इतने गहरे रूप में है।

इन बातों से परे डाइन समस्या के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कारणों की ठीक तरह से पड़ताल अब भी बाकी है। कुछ मामलों में यह अंधविश्वास का मामला भी है। परन्तु ज्यादातर मामले भूमि विवाद और औरतों को सम्पत्ति मालकिन के तौर पर देखना गवारा नहीं होना है।

❑❑

सदस्य

झारखंड राज्य महिला आयोग, रांची